2016 का विधेयक संख्यांक 224

[दि महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2016

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अनुसूची I का संशोधन।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में अनुसूची I में, पैरा 20 में, दोनों स्थानों पर उल्लिखित ''चालीस प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर ''साठ प्रतिशत'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2005 का 42

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I के पैरा 20 में यह उपबंध है कि ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए कुशल और अर्द्ध-कुशल कर्मकारों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत जिला स्तर पर, जैसी भी स्थिति हो, ग्राम पंचायत में चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस स्कीम के लागू होने के बाद से ही, यह देखा गया है कि निर्धारित सीमा में सामग्री से संबंधित व्यय अनुपात बनाए रखने में अत्यधिक कठिनाई हुई है तथा कुछ मामलों में यह पचास प्रतिशत से भी अधिक है। स्कीम कार्यान्वयन की सामाजिक लेखा-परीक्षा से भी पता चला है कि अधिनियम में निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर कार्य नहीं किया जा रहा है। अत: चालीस प्रतिशत की विद्यमान सीमा के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सामाजिक अवसंरचना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत या जिला प्राधिकरणों द्वारा अच्छी गुणवत्ता का कार्य नहीं किया जा सकता है। अत: विधेयक का आशय सामग्री घटक की सीमा में साठ प्रतिशत तक की वृद्धि करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना तैयार की जा सके।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
8 जुलाई, 2016

17 आषाढ़, 1938 (शक)

उदित राज

उपाबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में से उद्धरण

(2005 का अधिनियम सं॰ 42)

[अनुसूची-I]

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

* * * * *

20. ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए सभी कार्य के लिए कुशल और अर्द्ध-कुशल कर्मकारों के पारिश्रमिक सहित भौतिक घटकों की लागत ग्राम पंचायत स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायत से भिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए गए काम के लिए जिला स्तर पर, कुशल और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक सहित समस्त भौतिक घटक चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

* * * * *

लोक सभा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम, 2005 का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—2791LS(S3)—03.11.2016.